भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2295
जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्योगपित और उद्यमी

2295. डॉ. एल. हनुमंतय्या:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मौजूद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्योगपतियों और उद्यमियों की संख्या कितनी है, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी संख्या में सुधार करने तथा उनका व्यवसाय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) समस्त औद्योगिक उत्पादों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों का टर्नओवर कितना प्रतिशत है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क): अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ाने और उन्हें रियायती वित्त उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र पहलों के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में "अनुसूचित जाति हेतु उद्यम पुंजीगत निधि (वीसीएफ-एससी)" आरंभ की है।

आज की तिथि के अनुसार, अनुसूचित जाति के उद्यमों वाली 94 कम्पनियों को ₹338.88 करोड़ की समग्र मंजूरी और अनुसूचित जाति के उद्यमों वाली 75 लाभकारी कम्पनियों को ₹232.88 करोड़ का समग्र संवितरण किया गया है।

(ख): अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के लिए वित्तीय समावेशन को योग्य बनाने के लिए रियायती वित्त के द्वारा अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ाने और अनुसूचित जाति के समुदायों की अधिक वृद्दि हेतु उन्हें प्रेरित करने के लिए यह एक सामाजिक क्षेत्र की पहल है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति के उद्यमियों को विकसित करना और भारत में अनुसूचित जाति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन को बढ़ाना है।

(ग): भारी उद्योग विभाग में ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

******